



संख्या-119/2026/1056/सैंतीस-2-2026/001-1(9)/2022-1667776

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-21 मई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन भेड़ पालन की योजना (रा.90/ला.10) के अन्तर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-57/प0-1/9ख/भेड़ पालन योजना/2026-27, दिनांक-05.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-104-भेड़ तथा ऊन विकास-05-भेड़ पालन की योजना (रा.90/ला.10) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि ₹0-344.75 लाख (रूपये तीन करोड़ चौवालिस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
08-कार्यालय व्यय	0.50
39-औषधि तथा रसायन	13.50
42-अन्य व्यय	36.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	294.75
योग-	344.75

(रूपये तीन करोड़ चौवालिस लाख पचहत्तर हजार मात्र)

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- (2) धनराशि का कोषागार से आहरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जब योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित कर सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी।
- (3) योजनान्तर्गत अनुदान की धनराशि लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में अनुदान का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।
- (6) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।
- (7) विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
- (8) जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
- (9) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (10) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (11) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वहन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षक: 2403001040500 (भेड़ पालन की योजना (रा. 90/ ला.10))**

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001040500 भेड़ पालन की योजना (रा. 90/ ला.10)	08 कार्यालय व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
2	015	2403001040500 भेड़ पालन की योजना (रा. 90/ ला.10)	39 औषधि तथा रसायन	13,50,000 (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र)
3	015	2403001040500 भेड़ पालन की योजना	42 अन्य व्यय	36,00,000 (रुपये छत्तीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		(रा. 90/ ला.10)		
4	015	2403001040500 भेड पालन की योजना (रा. 90/ ला.10)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,94,75,000 (रुपये दो करोड़ चौरानवे लाख पचहत्तर हजार मात्र)
	कुल			3,44,75,000 (रुपये तीन करोड़ चौवालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)

महायोग	3,44,75,000 (रुपये तीन करोड़ चौवालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
--------	---

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

पु0सं0-119/2026/1056(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(9)/2022-1667776. तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।